IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

आधुनिक बिहार के दलित-पिछड़ा समाज के उत्थान में समाजवादियों का योगदान- एक ऐतिहासिक विश्लेषण

हरि शंकर प्रकाश,

गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान

बी॰एस॰कॉलेज, दानापुर, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना (बिहार)

पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण

(Qualify UGC NET in library and information Science)

शोधार्थी – इतिहास विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध-गया

भुमिका:- सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में आधुनिक बिहार राज्य का अभ्युदय हुआ जब बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग हुआ। तदुपरांत 1936 ईस्वी में उड़ीसा से और 15 नंबर 2000 ईस्वी में झारखंड से अलग होकर वर्तमान बिहार का परिदृश्य सामने आया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान में बिहार के सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। आजादी के महत्वपूर्ण सपूतों में वीर कुंवर सिंह, पटना के पुस्तक विक्रेता पीर अली, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती- किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। संविधान निर्माण में संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद थे। स्वास्थ्य कारणों से अस्थाई अध्यक्ष पटना के सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। डॉ राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। जो दो बार लगातार राष्ट्रपति रहे। बाबू जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, जे॰पी॰, राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद, एवं नीतीश कुमार का योगदान आधुनिक बिहार के सामाजिक एवं राजनीतिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है।

अकादमी महत्व :-

इस विषय का मूल उद्देश्य यह है कि आधुनिक बिहार के इतिहास से सीख लेकर बिहार का नव निर्माण करना है। समाज के सारे वर्ग के लोगों का विकास हो इसके साथ-साथ कोई विकास के पायदान में पीछे न छूट जाए, बिहार का सर्वांगिक विकास हो। जिसे विकास के आखिर पायदान पर बिहार पहुंचे एवं देश के जीडीपी (GDP) में

इसका अग्रिम भूमिका हो, और एक विकसित बिहार बने तथा जो प्राचीन बुद्ध और अशोक का बिहार है इस गौरव को पुनः स्थापित करके देश में सामाजिक न्याय की चर्चा एक अलग और नई दिशा में हो।

परिचय (Introduction):-

बिहार राज्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य है। इसका मैदान उत्तर में नेपाल दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर में हिमालय की तरह से लेकर दक्षिण में झारखंड तक फैला हुआ बिहार परिवर्तनशील मौसम के कुप्रभावों प्रभावों का शिकार होता रहा है। जहां उत्तरी क्षेत्र समतल मैदानी भाग है वहीं दक्षिणी क्षेत्र में पैरों और पहाड़ों का बहुतायत है। एक और उत्तर बिहार में सरयू, गंधक एवं गंगा जैसी नदियों के बहाने से इस क्षेत्र का मैदानी हिस्से बहुत ही उपजाऊ है। वहीं कृषि क्षेत्र में कार्यरत प्रति व्यक्ति के हिसाब से खेती योग्य जमीन की उपलब्धता कम है। 2011 के आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बंगाल को पीछे कर बिहार बन गया है।

नदी-जल के महत्वपूर्ण स्रोत होने के बावजूद यह हम पर निर्भर करता है कि इस जल का उपयोग हम पीने के पानी और सिंचाई हेतु करते हैं या नहीं करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं भारत करीब 200 वर्षों के ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के गुलामी से आजाद होने के बाद आज नव उपनिवेश के रूप में उभरा है। इसी कारण यहां आज भी पूर्व पूंजीवादी तकनीकी पर पैमाने पर मौजूद है। आता देश के साथ आधुनिक बिहार में भी बेरोजगारी गुप्त बेरोजगारी अर्थ बेरोजगारी गरीबी आदि और अविकास का माहौल कहलाता जा रहा है। यह न केवल बढ़ाते हुए डर से बेरोजगार स्त्रियों और पुरुषों की संख्या समाज बढ़ रहा है बल्कि भीषण बेरोजगारी के अभिव्यक्ति इधर समाज में आपराधिकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव और संगठित हिंसा के भयावह रूप में प्रदर्शित हो रही है।

इसके अलावा अधिकांशत: आम जनता अभी भी सामंती पहचानों से जुड़े मुद्दों जैसे धार्मिक , जातिवाद, भाषावाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता आदि से ग्रसित है। इस विकास रोड मुद्दों को दूर करने हेतु समाजवादियों ने बिहार में समय-समय पर आंदोलन करते रहे हैं। इसके साथ ही उससे निजात दिलाने का भरपूर और अथक प्रयास किया है और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है।

इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के काल में जब देश में आपातकाल लगा तब समाजवादी नेताओं ने उनका पुरजोर विरोध किया। जे॰पी॰ , कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान,जार्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद, रामानंद तिवारी, आदि महत्वपूर्ण नेता जेल गए। इसके साथ ही जय प्रकाश नारायण ने पटना में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इस तरह देशभर में विरोध किया जाने लगा। इंदिरा गांधी की सरकार को हटाकर समाजवादियों ने मोरारजी देसाई व चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया तथा उनके द्वारा संविधान में किये गये मूलभूत संशोधनों को दुबारा से 44 वें संविधान संशोधन द्वारा (42 वें संशोधन) की खामियों को दूर करके निम्न वर्गीय, गरीब, दलित, महिलायें व पिछड़ों की समस्यायों को समाधान करने का सफल प्रयास किया गया। जे॰पी॰ , लोहिया, जगजीवन बाबू, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, लालू यादव, राबड़ी देवी,और नीतीश कुमार बिहार में सरकार के गठन करके राज्य में अपने कार्यों द्वारा विकास में आग्रीण भूमिका निभाई हैं। बिहार के साम्यवादी और समाजवादी आंदोलनों का नेतृत्व 1955 ई॰ तक उच्च जातियों के हाथों में केंद्रित रहा। परंतु महान समाजवादी नेता डॉ राम मनोहर लोहिया का पर्दापण बिहार के समाजवादियों को एक नई दिशा प्रदान की। बिहार, डॉ॰ राममोहन लोहिया का एक समाजवादी प्रयोगशाला रहा, खासकर इस राज्य की राजनीति में दलित- पिछड़ों के हाथों में नेतृत्व स्थापित करने हेतु और राज्य की समाजवादी आंदोलन में उनकी संख्या बल बढ़ाने हेतु। 1956 ई॰ से समाजवादी आंदोलन की एक धारा लोहिया जी के नेतृत्व में चली और सारे देश में समाजवादी आंदोलन के हास्य पर पड़े कुछ लोग लोहिया की धारा में

शामिल हुए। जिनको लोहिया जी ने '**शिवाजी की बारात**' भी कह कर संबोधित किया। मुख्य धारा के लोग उनसे लग रहे। बिहार में लोहिया के साथ देने वाले लोग पिछले वर्ग के थे, इसका प्रमुख कारण यह था कि डॉ लोहिया ने अपनी जाति नीति का सघन प्रचार प्रसार किया था और डॉक्टर अंबेडकर से मिलकर प्रेम सिंह दाल बनाने का प्रस्ताव रखा था। 8 वर्ष बाद नया धारा व्यवस्थित हो सकती और बिहार में एक पूरा दलित पिछड़ों का दल तैयार हो गया।

कर्पूरी ठाकुर बिहार में समाजवादी धरे के सबसे महत्वपूर्ण नेता बन गए। उसके बाद बिहार के सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में पिछड़ों और दलितों का प्रभाव बढ़ता ही गया, और उनके बाद उत्तराधिकारी के रूप में दलितों पिछड़ों के प्रमुख नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव का अभ्युदय हुआ। लालू प्रसाद यादव पहली बार 1985 में चुनाव जीतकर 1989 में बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता बने। पुन: 1990 में मुख्यमंत्री बने। 1992 ईस्वी में लालू प्रसाद द्वारा पिछड़ों को उत्थान हेतु केंद्र (संघ) सरकार द्वारा आरक्षण लागू करवाया गया, जो सामाजिक न्याय हेतु एक मील का पत्थर साबित हुआ। तब केंद्र में भी जनता पार्टी की सरकार थी प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे।

सामाजिक और आर्थिक असमानता वाले सभी समाजों में स्वत: स्पूर्त अदृश्य आरक्षण की व्यवस्था होती है। यह आरक्षण समाज के विशेष अधिकार के रूप में होता है। बाद में उसको संवैधानिक रूप प्रदान किया गया है।

उन लोगों के पक्ष में होता है जिनके हाथ में ताकत होती है और वे वंचितों को सभी लाभों से दरकिनार कर देते हैं। यह आरक्षण ताकतवर लोगों के पक्ष में तब तक बना रहता है, जब तक की जानबूझकर की गई कार्रवाई से उसे रोक न जाए और इसका वितरण अन्य लोगों में न किया जाए। जब लाभ बहुत कम होता है एवं जरूरतमंद लाभार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और उसे सभी लोगों में समान रूप से वितरित करने के लिए कोई कार्रवाई की जाती है तो इसे स्वाभाविक रूप से उन लोगों को नाराजगी होती है जिन्हें लंबे समय से अपना हक समझकर इस पर कब्जा किया है। केंद्र सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के बाद बिल्कुल यही हुआ, चीन में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ओबीसी (**OBC)** शिक्षा और सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने का प्रावधान था। परंतु उस समय केवल सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। बाद में 2005-2006 मे शिक्षा में भी आरक्षण को लागू किया गया। सौभाग्य से सरकार के उपरोक्त निर्णय को न्यायालय ने बरकरार रखा। जब लोगों ने इसे न्यायालय में रिट दायर किया था। अभी तो एनडीए की सरकार ने 10% जाति के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को चिन्हित कर आरक्षण की व्यवस्था की है, जो एक अच्छी व सराहनीय पहल है। जिस समाज के हास्य के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हेतु यह आवश्यक है, परंतु ध्यान रहे कि जो वास्तविक लाभ के अधिकारी हैं उन्हें ही इसका लाभ मिले। इसका गलत तरीके से लोग का फायदा ना उठाएं।

1. इनकी जनसंख्या कितनी है?
2. देश के संसाधन पर इसका अधिकार कितना है?
3. भागीदारी (साधन-संसाधन में शिक्षा , रोजगार खेती की जमीन, व्यवसाय) में इनका कितना अधिकार और भागीदारी है?
4. नीति आयोग के हिसाब से देश में रह रहे लोगों के गरीबी स्थिति को समझने के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है।

EWS रिजर्वेशन की नीति में गरीबी रेखा को अलग से परिभाषित या निर्धारित किया गया है। जो की पूर्व के योजना आयोग के दिशा निर्देश को खारिज करने के कार्य कर रही है, ऐसे में हमारे सामने तो गरीबी रेखा का मापदंड है। जो हास्य के समाज के लिए अलग और समाज के साधन संपन्न लोगों के लिए अलग गरीबी देखा है ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है कि संविधान की प्रस्तावना में नियत क्षमता को कैसे हासिल किया जाए? इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, जो वास्तविक हकदार है उसे ही इसका लाभ मिले। जिससे समता मूलक समाज का सर्वांगीण विकास हो सके।

लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में यह सभी लोग ज्यादा अनिवार्य हैं, जिन आरक्षण देकर उनकी आर्थिक राजनीतिक एवं शैक्षणिक सांस्कृतिक स्थितियों में सुधार करके विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का एक सार्थक प्रयास किया गया है।

अगर ऐसा नहीं हो पता है तब लोकतंत्र का स्वरूप बिगड़ जाएगा और यह **कुछ लोगों का और कुछ लोगों के लिए शासन में बदल जाएगा।** जैसा कि इस देश में आजकल हो रहा है। आरक्षण पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए। या न सिर्फ मानव के अधिकार का अनिवार्य पहलू है और गरिमा के साथ जीने के अधिकार के लिए जरूरी है, बल्कि देश के लिए भी इतनी ही जरूरी है।

"लोहिया द्वारा उठाए गए बिहार के पिछले नेताओं ने पिछड़ाओं के उत्थान पर ही ध्यान केंद्रित किया, आर्थिक नीतियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। बिहार में दलित-पिछड़ों और महिलाओं की स्थिति को तभी सार्थक ढंग से सुधर जा सकता है, जब आर्थिक नीतियां भी प्रगतिशील हो। बिहार में सामाजिक न्याय के उपहार से सामाजिक समानता का लक्ष्य उसे अनुपात में पूरा नहीं हो सका जिस अनुपात में आशा की गई थी।

इसका मुख्य कारण यह है कि उसे समय राज्य के आर्थिक नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सामाजिक उत्थान (दलित-पिछड़ों को आगे बढ़ाने हेतु) एकांगी होकर जातिवाद दलदल में बिखर रहा है। जातियों में नए समीकरण के चलते कुछ जातियों में मध्यम वर्ग उभरा जो पहले नहीं था। कुछ जातियों का एक विशिष्ट वर्ग (धनाढ्य वर्ग हो गया। लेकिन बिहार की आबादी का आधा से बड़ा हिस्सा घर सामाजिक अर्थ पिछले पान का शिकार हो गया। इस तरह विकास के पायदान पर और जातियों की तुलना में काफी पीछे छूट गया। सभी को विकास में बराबर की भागीदारी मिले, इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के समय में पिछड़ी जातियों में जिनकी स्थिति ज्यादा खराब थी, वो विकास के पायदान में काफी पीछे थे, उनको चिन्हित करके **पिछड़ा वर्ग ओबीसी(OBC) से अलग करके अति पिछड़ा वर्ग (EBC- Extreme Backward class)** की सूची में जोड़कर अलग कर दिया गया। ताकि समाज के सभी निम्न जातियों के लोगों तक विकास पहुंचे और इस तरह वे विकास के मुख्य धारा में जुड़ सके और समाज का सर्वांगी विकास हो। इसी तरह का कार्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने समय में किया है। उन्होंने दलित जातियों में जो ज्यादा विकास से महरूम है उन्हें दलित से अलग करके '**महादलित**' की सूची में जोड़ा और इस तरह उनके विकास के लिए अलग से नियम कानून बनाए जाने लगे। इस प्रकार उनका विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

आधुनिक बिहार की विकास में एक कारक दलित एवं पिछड़ों का उत्थान है तो वहीं एक अन्य कारण मुसलमानों की स्थिति भी है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बनने के बाद अल्पसंख्यक समाज के रूप में मुसलमान भी बचें हैं। स्वतंत्रता के ठीक पहले बिहार में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उनसे गांधी जी का गहरा सदमा पहुंचा था। बिहार के राजनीति में जैसे-जैसे दलित पिछड़ों का नेतृत्व प्रभावशाली हुआ है वैसे-वैसे बिहार में सांप्रदायिक दंगों की आशंका कम हो गई है। कर्पूरी ठाकुर एवं लालू प्रसाद के सरकार में दंगे लगभग समाप्त हो गए। नीतीश कुमार भी दंगे को रोकने में सफल साबित हुए हैं। यधपी यत्र-तत्र राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित एवं उग्रवादी

तथा धार्मिक कारक बढ़कर दंगे का स्वरूप देने की कोशिश की परंतु सरकार ठोस प्रशासनिक कार्रवाई करके उसे शांत कर दिया या काबू में कर लिया।

स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में अब्दुल कयूम अंसारी ने अखिल भारतीय स्तर पर मुसलमान को संगठित करने का प्रयास किया था। पिछले मुसलमान सहयोग से पिछले मुसलमानों का जागरण हुआ यह भी बिहार के विरासत में दर्ज है। गांधी जी ने जन सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण, बिहार में ही सफलतापूर्वक किया। लोहिया और जेपी आंदोलन की निर्णायक शुरुआत बिहार से ही हुई। जेपी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जिसमें सात क्रांतियां हैं। **राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक, बौद्धिक , शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति।** भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना यह सभी कार्य आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसी व्यवस्था के उपज है। मैं तभी पूरी हो सकती है जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए। इसके साथ संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। बिहार के लोग अपनी रियासत से सीख लेकर अपना क्षेत्रीय इतिहास को याद करके इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करें और अपना आलोचनात्मक चेतना पैदा करें और अनुकूल परिस्थितियों बनने पर किसी भी क्षण एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी समाजवादी आंदोलन का सूत्रपात कर सकते हैं और इसी तरह वर्तमान बिहार, भारत के नव- निर्माण का प्रधान केंद्र बन जाएगा तथा भारत में गौरव गाथा को पुनः स्थापित करने में सफल हो पाएगा। बिहार में पारंपरिक आई और रोजगार के स्रोतों को समाप्त हो जाने से गांव के नौजवान या तो पास-पड़ोस के शहरों या कस्बों में बिहारी मजदूरी का काम करते हैं या दुर- दराज के स्थान पर घर परिवार को छोड़कर काम की तलाश में भटकते रहते हैं। इस तरह पूंजी का सबसे बड़ा स्रोत श्रम, जो राज्य के विकास में योगदान करता वह दूसरे राज्यों को कम कीमत पर उपलब्ध हो जाता है। इसका कारण यह है कि दूसरे राज्यों में भी काम खोजने वालों की अनुपात में उपलब्ध रोजगार बहुत कम है।

दूसरा, बिहार के पतन का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वह है आत्मविश्वास का उठ जाना। यह आम अनुभव है, किलो को मैं बिहार के उत्थान की उम्मीद समाप्त हो गई है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था भी बिहार को पाटन की ओर ले जाने वाला असली कारक है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के रहते बिहार किसी भी मॉडल के तहत तरक्की नहीं कर सकता है। जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था जिसे हम नजरअंदाज करने के कारण ही हम उसे बिहार को खोजने में असफल रहे हैं जिसे बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सूफी संत और भक्ति परंपरा के कवियों का निर्माण किया और मानवता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का यश अर्जित किया था। जब तक वर्तमान सामाजिक संरचना के खिलाफ निर्णायक आंदोलन नहीं होगा तब तक नया बिहार तैयार नहीं हो सकता है।

आज आधुनिक बिहार के मूल समस्या विषमता मूलक समाज में समता मूलक समाज स्थापित करने की है। समाज में दलित पिछड़ों आदिवासियों और कमजोर वर्ग के लोगों को बराबरी का अधिकार दिलाना है। सामाजिक गैर बराबरी ने आर्थिक प्रगति में अवरोध उत्पन्न किया है और विकास की रणनीति गैर बराबरी को पुष्ट किया है। एक तरफ सामाजिक न्याय और समानता का नारा अवश्य लगाया गया है परंतु विकास के कार्यक्रमों ने इस दिशा को भोजन बना दिया है, आज सबसे बढ़िया सुविधा है। किसी समाज की मानवीयता का निर्धारण इस तथ्य से होता है कि वह अपने कमजोर वंचित तथा उत्प्रीत सदस्यों को किस प्रकार की सुविधा एवं सुरक्षा प्रदान करता है। किसी आधुनिक समाज में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समुदायों के प्रभावशाली सदस्यों पर उपयुक्त नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है। सामाजिक न्याय की यही कसौटी है।

बिहार में विकास को राज्य के कार्य सूची के केंद्र में स्थापित करने हेतु इसे आंदोलन के तौर पर जमीन पर उतरना होगा। यहां आंदोलन शब्द का प्रयोग संकीर्ण राजनीति और टेली भावना से ऊपर उठकर व्यापक जन

अभियान के तौर पर सामूहिक प्रयासों की निरंतरता को बनाए रखना हमें निरंतर सामूहिक प्रयासों के लक्ष्य और प्रक्रिया के तौर पर विकास को देखना होगा। इस प्रक्रिया में विकास के लिए आम सहमति बनानी होगी। जो डालिए विचारधारा एवं संगठन के ऊपर होगा और इसमें विकेंद्रीकरण निहित होगा। विकेंद्रीकरण के अभाव में योजनाएं ना तो जनता के हितों के अनुरूप बनेगी और ना ही जमीन पर उतरेगी। व्यापक जन भागीदारी अथवा ज्यों कहें की जन अभियान सही योजना के निर्माण तथा क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। समग्रता को ध्यान में रखकर विकास को बहू पक्षीय बनकर ही इसकी सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। शोषण की प्रणाली को समाप्त करते हुए क्षमता पर आधारित प्रतिमान ही बिहार के लिए विकास का वैकल्पिक मॉडल होगा। जिन राज्यों में सामाजिक स्तरीकरण का जातीय स्वरूप अधिक कठोर नहीं रहा है वहां विकास की गति निश्चित तौर पर तेज रही है। कुल मिलाकर जाति भेद की कठोरता तथा समाज में बढ़ती जातीय असहिष्णुता को विकास के बाधक कारकों के रूप में रेखांकित किया जा सकता है।

समाज निर्माण में एक दूसरा मुद्दा महिलाओं की सामाजिक स्थिति का है। विकास एवं पिछले पान के संदर्भ में सामान्यतः इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान कम ही गया है । परिवार से समुदाय तक महिलाओं की वस्तु स्थिति पूर्णता दूसरे दर्जे की बनी हुई है। समाज में केवल महिलाओं की काबिलियत को ही न करने का रिवाज नहीं है, बल्कि उनकी क्षमता और भूमिका व्यावहारिक रूप से प्रदर्शित होती रही है वहां भी इन्हें नजर अंदाज करना आम बात है। कार्य कुशलता एवं कौशल कार्यकारी एवं अनुशासन जैसे गुना में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा अधिक गुणवान होना लोगों को खलने लगता है। परिणाम स्वरुप आर्थिक उत्पादन में उनकी भूमिका को समाज ने पूंजी के रूप में देखा और महसूस तक नहीं किया है तो इसे स्वीकार करना तो दूर की बात है। सामाजिक जीवन में महिलाओं की निम्न स्थिति का आधार यह भी है कि उन्हें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के अधिकारों से वंचित किया गया है। जिस क्रम में जातीय कठोरता अधिक होती गई लगभग उसी क्रम में महिलाओं की स्थिति कमोवेश निम्न कमजोर होती गई। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में स्त्रियों की आजादी का सिकुड़ना वैसा ही हुआ जैसे कि जातीय संरचना में दलितों का हुआ। बरहाल स्त्री उत्पीड़न (दहेज, घरेलू हिंसा , मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ित करना) बिहार के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे आधुनिक बिहार के विकास के लिए ध्यान देना और हर तरह से उनकी स्थिति में सुधार करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए उनके चहुंमुखी क्षेत्रों - सामाजिक , आर्थिक सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक में विशेष ध्यान देने की जरूरत है अलग से विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की जरूरत है। पुरानी विद्यालय में महाविद्यालय में महिला सीटें आरक्षित होनी चाहिए।

"नारी के सहभागिता बिना हर बदलाव अधूरी है। वर्तमान नीति सरकार तो महिला शिक्षा पर बोल दिया है। स्कूली बालिकाओं हेतु पोशाक पुस्तक एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। अभी और सुधार की गुंजाइश बची है, जिस समय-समय पर पूरा करते रहना है। जिससे समाज का सर्वांगिक विकास हो सके। नीतीश सरकार ने पंचायत यमुनानगर पालिका के चुनाव में महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित की है। यही हाल भारत के स्तर पर भी दूसरे राज्यों में लागू किया गया है। प्रथम राज्य बिहार है ।खुशी की बात है, कि राज्य सरकार की नौकरियों में बिहार में महिलाओं को 35% सिम आरक्षित की गई है। परंतु अभी राज्य विधानसभा और संसद में महिलाओं की 35% सीटों की आरक्षण के पास करना बाकी है यह एक चिंता का विषय है। समय-समय पर महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए जाने चाहिए। बिना महिला के स्थिति सुधार के एक विकसित बिहार एवं विकसित राष्ट्रीय परिकल्पना बेईमानी होगी।

साहित्यक समीक्षा :- (Review of Related literature)

साहित्यिक समीक्षा की दृष्टि से देखे '**समाजवाद से सर्वोदय की ओर**' पुस्तक में जेपी ने हाशिये के लोगों को लघु एवं कुटीर उद्योग खादी- हस्त करधा चलाने हेतु प्रशिक्षण की बात कही है एवं उनकी शिक्षा पर बोल दिया है खासकर महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए स्कूल एवं महिला कॉलेज खोलने की बात कही है।

कर्पूरी कुंज नामक पुस्तक में समाजवाद को बढ़ावा देते हुए अति पिक्चरों का विकास हेतु अलग से कानून बनाकर व्यवस्था की बात की गई है। बिहार में दलित-पिछड़ों का आंदोलन में जेपी एवं लोहिया के बाद कर्पूरी ठाकुर का ही योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अध्ययन से पता चलता है कि पिछड़ी जातियों के विकास हेतु सरकारी सेवाओं एवं शिक्षा में अध्ययन हेतु आरक्षण एक निहायत एवं अनिवार्य पहलू है। जिससे विकास की मुख्य धारा में सहयोग हो एवं लोकतंत्र के सफलता हेतु अनिवार्य भी है।

आधुनिक भारत में होने वाली सामाजिक परिवर्तनों को **एम.एन. श्रीनिवासन** ने अच्छे ढंग से विस्तृत विवरण किया है उसका राजनीतिक परिदृश्य में विश्लेषण किया जा सकता है। **एन आबिद हुसैन** नितेश की राष्ट्रीय संस्कृत पर व्यापक प्रकाश डाला है। आराम से आधुनिक काल तक के सांस्कृतिक विकास की मुख्य विशेषताओं को चिन्हित किया है। इस प्रकार से गांधी जी ने पंचायत को सशक्त बनाने को प्रमुखता दी है। गांधी जी का सामाजिक चिंतन भी काफी आदित्य है। उन्होंने दलितों को उधर है तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया है। सर्वोदय एवं स्वदेशी पर बोल दिए हैं।

आवश्यकता एवं महत्व:-

वर्तमान परिदृश्य को देखने के बाद आधुनिक बिहार के पिछड़ा समाज का सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन आवश्यक हो गया है। पहले पिछड़ा वर्ग आयोग 20 जनवरी 1953 को स्थापित किया गया था। जिसने अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 1955 को प्रस्तुत कर दी थी। इसके द्वारा बनाए गए मानदंड के आधार पर आयोग ने 2399 जातियों को सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए के रूप में पहचान की थी। इसने कल्याणकारी उपाय की सिफारिश की थी जिसमें अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करना भी शामिल था।

हालांकि तत्कालीन समय में केंद्र सरकार ने इस आयोग की सिफारिश को इस कारण से स्वीकार नहीं किया था क्योंकि पिछड़ा वर्ग की पहचान करने में इसने कोई विषयपरक परीक्षण और मानदंड का प्रयोग नहीं किया था। इसमें वर्तमान सरकार उसे जाति के आधार पर पिछड़ेपन को मानने से विरोध किया और आर्थिक परीक्षकों को लागू किया जाना उचित समझा। यह उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 340 में □सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछले वर्गों में बताया गया है।□

इन सिफारिश और अन्य कुछ आंकड़ों के आधार पर आधुनिक बिहार के पिछड़ों के कल्याण के संदर्भ में महत्व यह भी बढ़ जाता है कि जब पिछड़ा वर्ग राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक स्तर का सामान्यकारण तब हो सकता है जब अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए विशेष रूप से मनाया गया कल्याण कार्यक्रम केंद्रीय सरकार द्वारा इस ढंग और उसी तरह से धन दिया जाना चाहिए जैसा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में किया जाता है।लालू जी मंडल आयोग के सिफारिश को इसलिए लागू कर रहे हैं क्योंकि उसे संविधान की मनसा और उनका धर्मनिरपेक्ष समाजवादी स्वरूप प्रकट होगा। उनके इस निश्चय से की हरिजनों दबे कुचालों, अल्पसंख्यक और पिछड़ों का सत्ता में साझेदारी दी जाए सो सीटों और दलितों में आशा की नई किरण का संचार हुआ है।

वर्तमान सरकार भी (नीतीश के नेतृत्व की सरकार) इसी आधार पर कार्य कर रही है। सत्ता तथा शिक्षा इसके साथ ही सामाजिक रूप से पिछड़ा और महिला वर्ग को एक विशेष आरक्षण प्रदान कर सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से एक कतार में लाकर खड़ा करने की कोशिश कर रही है और इसमें कुछ हद तक सफलता भी पाई है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. एक पुरुष जयप्रकाश नारायण- स॰ उमाशंकर वर्मा।
2. जयप्रकाश नारायण एक जीवनी - रामवृक्ष बेनीपुरी।
3. जयप्रकाश तुम लौट आओ - ममता मल्होत्रा।
4. समाजवाद से सर्वोदय की ओर – जयप्रकाश नारायण (अनु॰ डॉ ॰ ओमप्रकाश गुप्त)
5. महान कर्मयोगी जननायक पर कर्पूरी ठाकुर – डॉ ॰ भीम सिंह 1 जनवरी 2014 प्रभात प्रकाशन।
6. कर्पूरी कुंज :- सप्तक्रांति के संवाहक – जननायक कर्पूरी ठाकुर,
   स्मृति ग्रन्थ -संरक्षक - रामनाथ ठाकुर
   भुमिका – हरिवंश , उपसभापति राज्यसभा दिल्ली
   प्रभात प्रकाशन, 15 फरवरी 2020
7. मंडल कमीशन :- राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल भूमिका और अनुवाद सत्यैंद्र पीएस प्रस्तावना जस्टिस पीबी सावंत।
8. गोपालगंज से रायसीना- मेरी राजनीति यात्रा लालू प्रसाद यादव संपादन नीलम वर्मा।
9. आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन - एम एन श्रीनिवासन (राजकमल प्रकाशन)।
10. भारत की राष्ट्रीय संस्कृति - एस आबिद हुसैन (नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया)।
11. बिहार की विरासत और नव- निर्माण की चुनौती - संपादक शिवदयाल।
12. बिहार का सच कृषि संकट और खेतिहर संघर्ष (लेखक उर्मिलेश)
13. समाजवादी चेतना और गौरव लाल यादव डॉक्टर अमर कुमार सिंह।

नोट:- समय-समय पर विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों से संग्रहित कुछ सूचना के आधार पर।